	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 04, बुधवार, शाके 1943-फरवरी 23, 2022 *Phalguna 04, Wednesday , Saka 1943- February 23, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 23, 2022

जी.एस.आर.414 :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) नियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होंगे।

2. परिशिष्ट ख का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) नियम, 1973 से संलग्न परिशिष्ट ख में, विद्यमान क्रम संख्यांक 10 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 11 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"11.	49, सिविल लाइन्स	1	सिविल लाइन्स जयपुर।"

[सं.एफ 7(2)संसद/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीर भटनागर,

प्रमुख शासन सचिव।

Parliamentary Affairs Department

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2022

G.S.R.414 .-In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 11 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) Rules, 1973, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) (Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Appendix B.- In Appendix B appended to the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) Rules, 1973, after the existing serial number 10 and entries thereto, the following new serial number 11 and entries thereto shall be added, namely:-

"11.	49, Civil Lines	1	Civil Lines Jaipur."

[No. F7(2)Sansad/2020]
By Order of the Governor,

Praveer Bhatnagar,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.